# BCCI BULLETIN

Vol. 52 | MARCH 2021 | No.3

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES


# माननीय उद्योग मंत्री, बिहार के साथ चैम्बर की बैठक आयोजित

**माननीय उयोग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय विधान पार्षद श्री संजय मयूख, माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया तथा चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन।**

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 10 मार्च 2021 को माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन के साथ एक बैठक हुई। इस अवसर पर माननीय विधान पार्षद श्री संजय मयूख एवं श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया एवं श्री संजय कुमार सिंह तथा उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री बृजेश मेहरोत्रा, उद्योग निदेशक श्री पी. के. सिंह, बियाडा के सीईओ श्री संतोष कुमार उपस्थित थे।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि माननीय सैय्यद शाहनवाज हुसैन जी के उद्योग मंत्री बनते ही उद्योग जगत में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उनकी सकरात्मक सोच से राज्य में औद्योगिक वातावरण तेजी से बदलेगा। उद्योग मंत्री जी जो बोल रहे हैं, कर भी रहे हैं। राज्य के उद्यमी भलीभांति जानते हैं कि आपने कई मंत्रालयों का उत्तरदायित्व संभाला है और आपके पास एक लम्बा कार्यानुभव भी है जिसका लाभ बिहार को अवश्य मिलेगा।

चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष एवं उद्योग उप-समिति के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी ने एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमे प्रमुख हैं :-

- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के संदर्भ में होल्डअप सब्सिडी, प्रोत्साहन, प्रतिपूर्ति का भुगतान संबंधी आदेश जारी हो।
- वैट की प्रतिपूर्ति की जगह जीएसटी प्रतिपूर्ति के नीति निर्धारित होने के बावजूद दावों का भुगतान नहीं हुआ है, इसका शीघ्र भुगतान किया जाए।
- जीएसटी प्रतिपूर्ति के बजाय उत्पादित माल की बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में मिले।
- सात टेक्सटाइल्स पार्क देश में स्थापित करने की बजट की घोषणा में से एक टेक्सटाइल पार्क बिहार को भी मिले।
- झारखण्ड सहित अन्य पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर सस्ती बिजली उद्योगों को उपलब्ध कराया जाये।

माननीय उद्योग मंत्री जी ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उद्योग नीति में संशोधन करने वाली है। आने वाले दिनों में बिहार इथेनॉल नीति बनाने वाला पहला राज्य होगा। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र ही करेंगे।

इसके लिए उन्होंने उद्यमियों को आगे आने की अपील की। इससे राज्य के गन्ना, मकई और चावल उत्पादन करने वाले किसानों को काफी फायदा मिलेगा। फ्री होल्ड को लेकर सरकार काफी गंभीर है।

माननीय मंत्री जी ने आगे कहा कि राज्य के बुनकरों के उत्पादों और कपड़ों की खरीदारी खादी मॉल से करेगें। इसके लिए वे मंत्री एवं विधायकों को पत्र लिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपये का अनुदान बिना व्याज के दिया जा रहा है। वहीं, सामान्य वर्ग की महिला उद्यमियों को पांच लाख रुपये तक का अनुदान मात्र एक फीसदी व्याज पर दिया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि शहर की कीमती सरकारी जमीनों पर खादी मॉल बनाने की योजना है। दरभंगा में हाट बनेगा। उन्होंने कहा उद्योग विभाग उम्मीदों का विभाग नहीं विश्वास का विभाग है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फैक्ट्री को जबरन बंद नहीं कराया जायगा। एमएसएमइ की राज्य के विकास में अहम् भूमिका है। इस सेक्टर ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मुहैया करा रखा है। सरकारी विभागों में एमएसएमइ की उत्पादों की खरीदारी की व्यवस्था सरकार कर रही है।

उन्होंने कहा कि कई उद्यमियों ने बियाडा की जमीन को लेकर समस्याएं बतायी है। इस जमीन को फ्री होल्ड करने पर विचार किया जायगा। सरकार माफी नीति को और सहज-सरल बनायेगी। जल्द ही नई पर्यटन नीति भी सरकार लाने जा रही है और आकर्षक निर्यात नीति भी सरकार बनाने जा रही है। उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए विभाग सिर्फ सरकारी जमीन के भरोसे नहीं रहेगा। बिहार में बनने वाले नये हाईवे के किनारे निजी जमीन खरीद कर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किये जाएंगे और वहाँ उद्यमियों को जगह देंगे। उन्होंने कहा – हम बिहार में उद्योग का माहौल बनाने आये हैं।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इथेनॉल के साथ ही प्लास्टिक, फर्मास्युटिकल, हैंडलूम, एक्सपोर्ट, खिलोना सहित कई अन्य पॉलिसी भी ला रहे हैं। देश में बनने वाले सात इंडस्ट्रियल पार्क में से एक इंडस्ट्रियल पार्क बिहार में भी बनवाने का प्रयास शुरू हो चुका है। अन्य चीजों के पार्क भी बिहार में

## अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

हम सभी देशवासियों के लिए यह हर्ष की बात है कि पूरे देश में 60 साल से उपर के लोगों एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 साल से उपर के लोगों को कोरोना से बचाव हेतु Vaccination का निबन्धन दिनांक 1 मार्च 2021 से प्रारम्भ हो चुका है परन्तु कुछ राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में जिस तरह से पुनः कोरोना के नये मामले आ रहे हैं वह चिन्ता की बात है । बिहार में भी मामलों का तेजी से प्रसार हो रहा है, इसलिए हम सभी को इससे बचाव के लिए सदैव सतर्क रहना है तथा सरकार के दिशा– निर्देशों का अनुपालन करते रहना है ।

Labour Resources Deptt. द्वारा Code on Wages (Bihar) Rules, 2021, The Industrial Relations (Bihar) Rules, 2021 एवं The Social Security (Bihar) Rules, 2021 का Draft जारी करते हुए हितधारकों से आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किया गया है। **इस सम्बन्ध में चैम्बर की ओर से Draft of Code on Wages (Bihar) Rules 2021 पर आपत्ति एवं सुझाव दर्ज कराया गया है।**

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 13.01.2021 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसके अन्तर्गत अपशिष्ट प्लास्टिक को Recycle कर अन्य उत्पाद बनाने वाली इकाईयों को 15 दिनों के अन्दर निबन्धन कराने अन्यथा उद्योगों को बन्द करने की कार्रवाई को कहा गया था। **उक्त आलोक में चैम्बर की ओर से इसका विरोध किया गया और यह संतोष की बात है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग ने Siting Criterion की समीक्षा हेतु एक कमिटी का गठन किया है जिसकी जिम्मेवारी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को दिया गया है।** इसकी लगातार बैठकें हो रही है। एक बैठक दिनांक 08.03.2021 को भी रखी गयी थी।

बिहार विद्युत विनियामक द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए घोषित टैरिफ में कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के चलिए बिजली की दरों में वृद्धि की गयी है। वर्त्तमान में कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें अधिक है। फलस्वरूप सभी कॉमर्शियल एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रतिस्पर्द्धा में कठिनाई हो रही है।

पटना, गया और मुजफ्फरपुर में आयोजित बिहार विद्युत विनियामक आयोग की जन–सुनवाई के दौरान बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से एक विस्तृत सुझाव/आपतियाँ आयोग को समर्पित की गयी थी, इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आपूर्त्ति की लागत 7.50 पैसे प्रति युनिट है जबकि उनका औसत टैरिफ 9.50 पैस प्रति युनिट है। बिहार सरकार द्वारा कॉमर्शियल एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है। **अतः चैम्बर ने सरकार से अनुरोध किया है कि क्रास सब्सिडी को हटाकर कॉमर्शियल एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली की दरों में प्रति यूनिट 2 रूपये कम करें।**

बिहार सरकार का जोरदार प्रयास हो रहा है जिससे उद्योगों का तेज गति से विकास हो। इसी क्रम में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 की घोषणा की गयी है, ताकि औद्योगिकरण में तेजी आये और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए अत्यावश्यक है कि राज्य में बिजली की दरें पड़ोसी राज्यों के समकक्ष या कम किया जाय ताकि औद्योगिकरण का प्रयास सफलीभूत हो सके।

दिनांक 10 मार्च, 2021 को माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी के साथ चैम्बर में एक बैठक हुई। बैठक में माननीय मंत्री जी को चैम्बर की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। माननीय मंत्री जी ने जो बातें कहीं उससे ये स्पष्ट है कि बिहार सरकार औद्योगिकरण हेतु कृत संकल्पित है।

**सबसे खुशी की बात है कि उक्त बैठक में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि मई के बाद से वे महीने में एक दिन चैम्बर को देंगे। इस बैठक में विभागीय अधिकारी भी रहेंगे और यहीं पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास भी करेंगे।**

इस बैठक के सम्बन्ध में इसी बुलेटीन में एक संक्षिप्त रिपोर्ट भी सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित की गयी है।

अंत में मैं पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि कोरोना से सुरक्षा हेतु मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और वैक्सीन अवश्य लगवायें।

**''जान है तो जहान है ''**

सादर,

आपका

**पी० के० अग्रवाल**

स्थापित किये जाएंगे। कहा कि विभाग के पास अभी साढ़े तीन हजार एकड़ जमीन है। एक इंच जमीन भी किसी माफिया को घेरने नहीं दी जायेगी। गया के डोभी में 1600 एकड़ में अमृतसर–कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर के तहत इंटीग्रेटेड–मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर स्थापित होने जा रहा है जिसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।

**माननीय मंत्री ने कहा कि वे मई माह से उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु महीनें में एक दिन चैम्बर में रहेंगे। यहीं पर उद्योग विभाग और बियाडा के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। सरकार खुद चलकर उद्यमियों के दरवाजे पर जायगी। जिलेवार व्यवसायियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को समझुंगा और समाधान भी करूंगा।**

कार्यक्रम में कई उद्यमी उद्योग संबंधी समस्याओं एवं सुझावों को लेकर माननीय उद्योग मंत्री से व्यक्तिगत रूप से (one to one) मिले, वो निम्नानुसार हैं :–

1. श्री बी. एस. आदर्श एवं श्री वाई. पी. सिंह, आई.टी.सी. लिमिटेड, मुंगेर
2. मो० सादिक अली सासा मूसा सुगर वर्क्स लि० गोपालगंज
3. श्री अमित मनकानी हरिलाल वेंचर्स प्र० लि० पटना
4. श्री प्रियंवद सिंह, पटना
5. श्री बासु सराफ, त्रिवेणी एलेक्ट्रोकास्टिंग लि०, पटना
6. श्री संजीव चौधरी, गंगोत्री आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० पटना
7. श्री भरत अग्रवाल नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मुजफ्फरपुर
8. श्री श्यामसुन्दर भिमसरिया, लघु उद्योग भारती, बिहार
9. श्री प्रदीप कुमार सिंह अध्यक्ष पटना सिटी व्यापार मंडल, पटना

माननीय विधान पार्षद श्री संजय मयूख को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर। मंचासीन माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

माननीय विधान पार्षद श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी। मंचासीन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया ( चैम्बर के सदस्य ) को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। मंचासीन-चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

माननीय विधायक श्री संजय कुमार सिह ( चैम्बर के सदस्य-वैशाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के महामंत्री ) को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर के कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री वृजेश मेहरोत्रा को पुष्पमुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

उद्योग निदेशक श्री पी. के. सिंह को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

बियाडा के सीइओ श्री संतोष कुमार को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन तथा दाँयीं ओर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयी ओर माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री वृजेश मेहरोत्रा, उद्योग निदेशक श्री पी. के. सिंह, वियाडा के सीइओ श्री संतोष कुमार तथा दाँयी और उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

ज्ञापन प्रस्तुत करते चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष एवं उद्योग उपसमिति के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी। मंचासीन माननीय उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव, उद्योग निदेशक, वियाडा के सीइओ, चैम्बर के पदाधिकारीगण।

उद्यमियों, व्यवसायियों को संबोधित करते माननीय उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन।

माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन को चैम्बर का प्रतीक चिह्न भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय विधान पार्षद श्री संजय मयूख, माननीय विधान पार्षद श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, माननीय विधायक श्री संजय कुमार सिंह एवं चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय विधान पार्षद श्री संजय मयूख।

माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल साथ में माननीय विधायकगण, उद्योग विभाग के अधिकारीगण एवं चैम्बर के उपाध्यक्षगण।

समागार में उपस्थित उद्यमी, व्यवसायी, विभिन्न व्यावसायिक तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधिगण एवं अतिथिगण।

10. श्री ऋषभ जैन
हथुआ मार्केट व्यवसाई समिति, पटना
11. श्री बी.एल.गुप्ता, एवं
श्री बलराज कपूर
पाटलीपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन, पटना

संवाद कार्यक्रम में निम्न चैम्बर एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी- प्रतिनिधि उपस्थित थे :-

1. श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री
बिहार कैमिस्टस एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन, पटना
2. श्री रामदुलार शर्मा
आरा फर्नीचर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, समस्तीपुर
3. श्री राम चन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष
लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लखीसराय
4. श्री मनीष तिवारी,
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना
5. श्री रंजीत कुमार जैसवाल, अध्यक्ष
बिहार बल्ब मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, पटना
6. श्री नवीन गुप्ता, सचिव
फेडरेशन ऑफ इंडियन आई.टी. एसोसिएशन, पटना
7. श्री नन्द किशोर अग्रवाल, अध्यक्ष
हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन
8. श्री दिलीप कुमार
पटना सिटी व्यापारी / उद्यमी विकास संघ, पटना
9. श्री कैलाश पोद्दार, अध्यक्ष
जहानाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहानाबाद
10. श्री अमित कुमार उर्फ बबल कश्यप, सचिव
डेहरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डेहरी
11. श्री सुदामा कुमार, अध्यक्ष
बोधगया होटल एसोसिएशन, गया
12. श्री आदित्य विजय जैन, संयुक्त सचिव
भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आरा
13. श्री अनिल कुमार 'अकेला', अध्यक्ष
नालंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, बिहारशरीफ
14. श्री बिनोद कुमार, अध्यक्ष
पाटलीपुत्र सर्राफा संघ, पटना

कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करते चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

15. श्री उदयशंकर सिंह, अध्यक्ष
बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, पटना
16. श्री राज कुमार रश्मि, पूर्व सचिव
दानापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दानापुर, पटना
17. श्री देव नारायण गुप्ता
ईस्ट चंपारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, मोतिहारी
18. श्री आदित्य मुंद्रा, मंत्री
बिहार प्लाईवुड निर्माता संघ, पटना
19. श्री के. के. मिश्रा
फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन, फतुहा, पटना

इसके अतिरिक्त चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री रमाशंकर प्रसाद, श्री आशीष शंकर, श्री के. के. अग्रवाल, श्री अलोक पोद्दार, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, अनमोल इंडस्ट्रीज लि०, हाजीपुर के श्री गौरव सक्सेना, पटना डेयरी प्रोजेक्ट 'सुधा' के श्री सुशील कुमार, गोल्डन डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि० के श्री नीरज टहलानी, इंडियन बैंक के एम. एस. अख्तर एवं इंडियन ओवरसीज बैंक के श्री चंद्रमनी जॉली सहित चैम्बर के सदस्य एवं प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि काफी संख्या में उपस्थि थे।

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष ने माननीय उद्योग मंत्री को मेमेंटो एवं शॉल देकर सम्मनित किया तथा चैम्बर का कॉफी टेबल बुक भी भेंट किया। चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम समाप्त हुआ।

## इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति –2021 पर माननीय उद्योग मंत्री द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चैम्बर अध्यक्ष शामिल हुए

इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति -2021 पर माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन द्वारा दिनांक 19 मार्च 2021 को होटल मौर्या, पटना में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विशेष रूप से आंमत्रित थे। उद्घाटन कार्यक्रम में श्री अग्रवाल ने दीप प्रज्जवलित किया।

माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 पर आयोजित संवादाता सम्मेलन में दीप प्रज्ज्वलित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में माननीय उद्योग मंत्री, सैयद शाहनवाज हुसैन, माननीय विधान पार्षद श्री संजय मयूख, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री वृजेश मेहरोत्रा एवं अन्य।

# चैम्बर की पहल पर प्रमंडलीय स्तर पर उद्यमियों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, कटिहार में दिनांक 4 मार्च 2021 को आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, मुजफ्फरपुर में दिनांक 9 मार्च 2021 को आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया में दिनांक 12 मार्च 2021 को आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मोतीहारी में दिनांक 14 मार्च 2021 को आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, दरभंगा में दिनांक 16 मार्च 2021 को आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पहल पर बिहार राज्य प्रदूषण पर्षद की ओर से बिहार के उद्यमियों को पर्यावरणीय नियमों के प्रति जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रमंडलीय स्तर पर मोतिहारी, दरभंगा, गया एवं मुजफ्फरपुर में 'उद्यमियों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन किया गया।

## छह हजार कारोबारी नियम करेंगे खत्म: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान की जगह समस्या ज्यादा पैदा करता है। इसलिए सरकार का प्रयास इस साल केन्द्र और राज्य स्तर के 6,000 से अधिक कारोबारी नियमों को कम करने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि नियमों के पालन का बोझ घटना चाहिए और सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है। इसलिए हर चीज के लिए बार-बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सरकार खत्म करना चाहती है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर एक वेबिनार के संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का जोर देश के नागरिकों पर भरोसा कर आगे बढ़ने पर है। इसलिए स्व नियामक, स्व सत्यापन और स्व प्रमाणीकरण पर जोर दिया जा रहा है। बजट में पीएलआइ स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये के प्रविधान का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पीएलआइ स्कीम द्वारा ही आने वाले पाँच वर्षों के दौरान देश में लगभग 520 अरब डॉलर यानी लगभग 40 लाख करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादन का अनुमान है। पीएलआइ स्कीम से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के भी दोगुना होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पीएलआइ स्कीम से एमएसएमई को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि हर सेक्टर में प्रमुख युनिट लगेंगे और प्रमुख यूनिटों को सप्लाई चेन की जरूरत होगी, जो एमएसएमई पूरी करेंगे।

**( साभार : दैनिक जागरण, 6.3.2021 )**

## एक मार्च से बदलने वाले हैं ये तीन अहम नियम

**एसबीआई ग्राहकों के लिए केवाईसी अनिवार्य :** 1 मार्च से एसबीआई के ग्राहकों को अपने केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। जो ग्राहक यह काम नहीं करेंगे, उनके खातों में सब्सिडी जैसी सरकारी योजनाओं की राशि जमा नहीं होगी।

**नया आईएफसी कोड अमल में आएगा :** विजया बैंक और देना बैंक के पुराने आईएफएससी कोड एक मार्च से काम नहीं करेंगे। बैंकिंग लेन-देन के लिए ग्राहकों को नए आईएफएससी कोड का सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल, साल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। इसके बाद दोनों बैंकों से जुड़े लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से नए एमआईसीआर कोड वाली चेक-बुक 31.3.2021 तक हासिल की जा सकेगी।

**'विवाद से विश्वास योजना' की समयसीमा बढ़ी :** आयकर विभाग ने **'विवाद से विश्वास'** योजना के तहत विवरण देने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। वहीं, अतिरिक्त कर राशि के भुगतान के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया है।

**( साभार : हिन्दुस्तान, 1.3.2021 )**

## एमएसएमई के लिए परीक्षण शुल्क घटाए बीआइएस: गोयल

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) से चुनिंदा इकाइयों के लिए परीक्षण शुल्क घटाने को कहा है। गोयल ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों, नए स्टार्ट-अप और महिला उद्यमियों के लिए बीआइएस को उत्पादों का गुणवत्ता परीक्षण शुल्क घटाना चाहिए। इससे वे मानक के अनुरूप उत्पाद बनाने और बने उत्पादों के मानकीकरण के लिए प्रोत्साहित होंगे।

**( साभार : दैनिक जागरण, 2.3.2021 )**

# माप–तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुहरांकन हेतु माप–तौल विभाग का शिविर चैम्बर में आयोजित

शिविर में माप-तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकन करते माप-तौल विभाग के अधिकारीगण एवं व्यवसायीगण।

चैम्बर के अनुरोध पर माप-तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुहरांकन हेतु माप-तौल विभाग, पटना प्रमंडल द्वारा दिनांक 25 मार्च 2021 को चैम्बर प्रांगण में एक शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में कई सदस्यों ने अपने माप-तौल उपकरणों का सत्यापन एवं मुहरांकन करवाया।

## टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी कई पहलुओं पर आधारित

वित्त आयोग ने टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी पर निर्णय लेते समय निरंतरता और भविष्य के अनुमानों को तरजीह दी।

15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन. के. सिंह ने 6 मार्च 2021 को कहा कि इसी कारण कुल पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41 फीसद पर बनाए रखा गया है। सिंह ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि इससे पहले के प्रत्येक वित्त आयोग ने कुछ हद तक टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन 15 वें वित्त आयोग ने कोविड-19 के चलते केन्द्र और राज्यों दोनों के राजस्व में कमी को ध्यान में रखते हुए सभी विकल्पों पर गौर किया।

वेबिनार में राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुल टैक्स राजस्व में बंटवारे के लायक राजस्व की हिस्सेदारी लगातार घट रही है क्योंकि सकल टैक्स राजस्व में सेस और सरचार्ज की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष संसद में पेश अपनी सिफारिश में 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि राज्यों को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान केन्द्र से बंटवारे लायक टैक्स का 41 फीसद हिस्सा दिया जाएगा। इससे पहले 14वें वित्त आयोग ने भी राज्य की हिस्सेदारी इसी स्तर पर रखने की सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग के अनुसार समीक्षाधीन पाँच वर्षों की अवधि के लिए सकल कर राजस्व (जीटीआर) 135.2 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इनमें से केन्द्र और राज्य में बंटवारे लायक टैक्स की मात्रा करीब 103 लाख करोड़ रुपये होगी। इसमें भी समीक्षाधीन पाँच वर्षों के लिए राज्यों का अनुमानित हिस्सा 42.2 लाख करोड़ रुपये है।

सिंह ने कहा कि अब तक प्रत्येक वित्त आयोग ने केन्द्र और राज्य में बंटवारे लायक टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है। हमारे पास इस चलन को जारी रखने का भी विकल्प था। लेकिन हमने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि बदली परिस्थितियों में केन्द्र और राज्य दोनों के राजस्व में लगातार कमी हो रही है।

**(साभार : दैनिक जागरण, 7.3.2021)**

## आत्मनिर्भर बिहार बनाने के प्रयास के सहभागी बनें बैंक : उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बैंकों से अपील की है कि वे आत्मनिर्भर बिहार बनाने के प्रयास के सहभागी बनें। केन्द्र एवं राज्य सरकार उन उद्यमों को बढ़ावा दे रही है जिनमें रोजगार के अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। बगैर बैंकों के सक्रिय सहयोग के यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। वे 6 मार्च 2021 को बैंकर्स समिति की 75 वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी चंपारण का चनपटिया मॉडल प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की दिशा में नजीर बना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं स्टैंड अप इंडिया के तहत अधिक से अधिक लोगों को कर्ज देने की जरूरत है। राज्य में उन लोगों की तादाद अधिक है, जो छोटे कर्ज लेकर रोजी रोजगार चला रहे हैं। लघु उद्योग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

बैठक में मौजूद रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि से उप मुख्यमंत्री ने कहा-आप बैंकों से समन्वय स्थापित कर आत्मनिर्भर बिहार के अभियान को मजबूती दें।

उन्होंने कहा कि हरेक पंचायत में बैंकों की यदि एक शाखा खुल जाती है तो अच्छा रहेगा। इसके लिए बैंक पंचायत भवन का उपयोग कर सकते हैं। वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने प्रतिवेदन रखा।

"आत्मनिर्भर बिहार के लिए उद्योग विभाग नई योजनाओं की शुरूआत कर रहा है। इथेनॉल हब और आइटी पार्क सहित अन्य बड़े प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंक ब्रेकर न बने।"

**– शाहनवाज हुसैन,** उद्योग मंत्री, बिहार

"बैंकों का सहयोग न मिलने से योजनाएं बाधित हो रही हैं। आवेदन कम हो रहे हैं। नाबार्ड और बैंकों की ओर से जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनकी मानिटरिंग की जरूरत है।"

**– अमरेन्द्र प्रताप सिंह,** कृषि मंत्री, बिहार

"बैंक समय पर कर्ज नहीं देते हैं। आवेदनों के निबटारे में टालमटोल करते हैं। इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंक अगर निजी बैंकों की तर्ज पर काम करें तो आवेदकों को राहत मिलेगी।"

**– मुकेश सहनी, मंत्री,** पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन

इस बैठक में श्री अमित मुखर्जी, महामंत्री, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज भी उपस्थित थे। **( साभार : दैनिक जागरण, 7.3.2021 )**

## करदाता की संपत्ति कुर्क करते वक्त बरतें सावधानी

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने किसी करदाता की संपत्ति कुर्क करते समय अपने फील्ड अधिकारियों को अधिकतम सकर्तता बरतने की हिदायत दी है। सीबीआईसी ने कहा कि इस उपाय पर तब गौर किया जा सकता है, जब जीएसटी चोरी का मामला हो या फर्जी बिल अथवा संग्रहीत कर जमा करने में तीन महीने से अधिक की देरी का मामला हो।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत संपत्ति को कुर्क किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है।

इसके अनुसार, 'संपत्ति कुर्क करने की शक्ति को सामान्य या सहज तरीके से उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। यह असाधारण परिस्थितियों का उपाय है और इसे अधिकतम सतर्कता के साथ सिर्फ तभी उपयोग में लाया जाना चाहिए, जब परिस्थिति एकदम विकट हो।' सीबीआईसी ने दिशानिर्देशों में ऐसे मामलों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें संपत्तियों को कुर्क करने की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। **( साभार : राष्ट्रीय सहारा, 8.3.2021 )**

## पुरानी कार दे नई लेने पर पाँच फीसदी की छूट मिलेगी

**केन्द्र सरकार वाहन कबाड़ नीति के तहत राज्यों और निजी कंपनियों को मदद देगी**

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पुराने वाहनों को कबाड़ करने में रूचि रखने वाले ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है। अब वे ऐसा करने पर नई वाहनों की खरीद पर करीब पाँच प्रतिशत तक की छूट पा सकते हैं।

गडकरी ने कहा, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के एवज में वाहन कंपनियाँ ग्राहकों को नए वाहन की खरीद पर करीब पाँच प्रतिशत की छूट देंगी। वाहनों को स्वेच्छा से कबाड़ करने की नीति की घोषणा 2021-22 के केन्द्रीय बजट में की गई है। गडकरी ने कहा, इस नीति के चार प्रमख घटक हैं। छूट के अलावा, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स और अन्य शुल्क का प्रावधान किया जाएगा। यह नीति वाहन क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। इससे रोजगार के बहुत अवसर पैदा होंगे।

**फिटनेस टेस्ट अनिवार्य :** वाहनों को स्वचालित सुविधाओं में अनिवार्य फिटनेस और प्रदूषण परीक्षणों से गुजरना होगा। फिटनेस परीक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में बनेंगे। सरकार निजी भागीदारों और राज्य सरकारों को वाहनों को कबाड़ करने वाले संयंत्र लगाने में सहायता करेगी।

**नई नीति की जरूरत क्यों पड़ी? :** गडकरी ने कहा कि देश में अभी करीब 51 लाख हल्के मोटर वाहन 20 साल से अधिक और 34 लाख 15 साल से अधिक पुराने हैं। वाहन कबाड़ नीति आने से इन वाहनों को रोड से हटाने में मदद मिलेगी। इससे नई गड़ियों की बिक्री बढ़ेगी जो वाहन उद्योग को गति देने का काम करेगा। अनुमान है कि 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट फीस कैब की मौजूदा की 200 रुपए से बढ़कर 7500 रुपए हो जाएगी। **( साभार : हिन्दुस्तान, 8.3.2021 )**

**श्री नीतीश मिश्रा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा विधान सभा में राज्य में उद्योगों के संबंध में पूछे गए प्रश्न एवं उद्योग विभाग द्वारा दिये गए उत्तर की प्रति आपके अवलोकनार्थ उद्धृत है:-**

**श्री नीतीश मिश्रा, माननीय स. वि. स. द्वारा दिनांक 15.3.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-ऐ-31 का उत्तर।**

**प्रश्न :** क्या यह बात सही है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली एवं सड़क कानून व्यवस्था के साथ-साथ आसानी से जमीन की उपलब्धता अनिवार्य है और एक स्थान पर ही एक ही तरह के उद्योग विकसित होने से इसका अच्छा असर पड़ता है जबकि बिहार में उद्यमियों और उद्योग संघों द्वारा जमीन की लगातार माँग की जाती है मगर जमीन की कमी के कारण प्रोजेक्ट अधर में फँस जाता है, यदि हाँ तो सरकार जमीने की उपलब्धता के लिए कार्य योजना बनाने का विचार रखती है। नहीं तो क्यों?

**उत्तर :** आंशिक स्वीकारात्मक है। बिजली, सड़क एवं कानून की व्यवस्था के साथ-साथ भूमि की उपलब्धता रहने से औद्योगिकीकरण की गति तीव्र हो जाती है। एक ही स्थान पर एक ही तरह की उद्योग की स्थापना हेतु विभिन्न औद्योगिक पार्कों (फूड पार्क, आई. टी. पार्क, टेक्सटाईल पार्क, प्लास्टिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, मेडिकल डिवाईस पार्क, फार्मा पार्क, टॉय पार्क इत्यादि) की स्थापना होने से सामान्य सुविधा केन्द्र विकसित किए जाते हैं जिससे उद्योग को फायदा होता है। बिहार में मुख्यमंत्री कलस्टर योजना की एक ही तरह के उद्योग को विकसित करने हेतु प्रोत्साहित की जाती है।

वस्तुस्थिति यह है कि उद्योग विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-1413 दिनांक- 26.5.2020 द्वारा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा 2 (च), धारा 4 (क) (i) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा गन्ना उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक- 1/रेगु-6-6004/2012-पार्ट-221/ पटना दिनांक- 11.2.2020 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम से बियाडा को हस्तांतरित 2442.41 एकड़ भूमि को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। पूर्व से भी आवंटन योग्य 1078 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

बियाडा के द्वारा उक्त चीनी मिल की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक : 1157 दिनांक : 10.3.21

5/स० तारांकित प्रश्न (वि०स०)-21/2021

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञाप सं०-657 दिनांक 27.2.21 के संदर्भ में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उप उद्योग निदेशक
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

**"बिहार कराधान विवादों का समाधान ( द्वितीय ) अध्यादेश, 2020" ( The Bihar Settlement of Taxation Disputed (Second) Ordinance 2020 का विस्तार 20 सितम्बर 2021 तक किया गया है।**

**उक्त संबंध में वाणिज्य-कर विभाग, बिहार द्वारा जारी गजट अधिसूचना S.O.- 85 दिनांक 17 मार्च 2021 की प्रति आपके अवलोकनार्थ उद्धृत है :-**

**26 फाल्गुन 1942 ( श. )**
**( सं. पटना 176 ) पटना, बुधवार 17 मार्च 2021**

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
17 मार्च 2021

एस. ओ. **85**, दिनांक **17 मार्च 2021**-बिहार कराधान विवादों का

**BIHAR STATE POLLUTION CONTROL BOARD**
Parivesh Bhawan, Patliputra Industrial Area, P.O.-Sadakat Ashram, Patna-800010
EPABX-0612-2261250/2262265, Fax-0612-2261050

Letter No. 550 /  Patna, date : 09.3.2021 /

From,
S. Chandrasekar, I.F.S.,
Member Secretary.

To,
Sri Amit Mukherji,
General Secretary,
Bihar Chamber of Commerce & Industries, Chamber Bhawan,
Khemchand Chaudhary Marg,
Patna – 800 001.

**Sub: Regarding Clarification on the use of New Plastic containers.**

**Ref: Your office letter no. 61, dated 26.02.2021.**

Sir,

With reference to the subject cited above a query has been raised that whether an industry using new PET/HDPE/LDPE iars/Bottles for packing their products need to register with BSPCB or not.

In light of the above query the clarifications are being given as follows :-

1. The "Producer" is defined [Rules 3 (s)] as "persons engaged in manufacture or import of carry bag or multi-layered packaging or plastic sheet or like and includes industries or individuals using plastic sheet or like or cover made of plastic sheet or multi-layered packaging for packaging or wrapping the commodity."

Thus the industries as mentioned in your above referred letter belongs to the category of 'Producer'.

2. Rules 13 (2) states "No person shall manufacture carry bags or recycler plastic bags or multi-layered packaging unless the person has obtained a registration from the State Pollution Control Board prior to the commencement of production."
3. Rules 3 (2) states "Every producer or Brand Owner shall for the purpose of registration or renewal of registration, make an application in Form – I to –
   (i) The concerned SPCB, if operating in one or two States or,
   (ii) The CPCB, if operating in more than two States or UT.

In reference to the rules cited above, an industry using virgin plastic for packing their products will have to register with BSPCB in the State, if operating in the State of Bihar.

Yours faithfully,

(S. Chandrasekar)
Member Secretary

## V. Role of MSMEs in Indian Economy-

I. **Total No. of Registered Enterprises-**

| Total No. of Registered Enterprises | Micro Enterprises | Small Enterprises | Medium Enterprises |
|---|---|---|---|
| 6.33 Crores | 6.30 Crores | 3.31 Lakhs | 0.05 Lakhs |
| | 99.40% | 0.52% | 0.007% |

*(Source- Annual Report of MSME FY2019)*

II. **Total No. of Registrations done in FY2020-**

| Total | Micro Enterprises | Small Enterprises | Medium Enterprises |
|---|---|---|---|
| 25.12 Lakhs | 22.06 Lakhs | 2.95 Lakhs | 0.11 Lakhs |
| | 87.82% | 11.74% | 0.44% |

*(Source- Data Shared by Mr. Nitin Gadkari)*

(Source : The Chartered Accountant, September 2020)

समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020 की धारा-1 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल "बिहार कराधान विवादों का समाधान (द्वितीय) अध्यादेश, 2020" के प्रावधानों को 21 मार्च, 2021 से 20 सितम्बर, 2021 तक (छः माह) की अवधि हेतु विस्तारित करते हैं।

2. यह अधिसूचना तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं. सं.बिक्री-कर/संशोधन-06/2020-707)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

## चैम्बर द्वारा औद्योगिक उपभोक्ताओं की बिजली दो रुपये कम करने की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए घोषित टैरिफ में कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में वृद्धि की गयी है। वर्तमान में कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें अधिक है। जिसके कारण सभी कॉमर्शियल और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही है।

श्री पी. के. अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरपुर, गया और पटना में आयोजित आयोग की जन सुनवाई के दौरान बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से एक विस्तृत सुझाव/आपत्तियां बिहार विद्युत विनियामक आयोग को समर्पित की गयी थी। आपत्तियों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की लागत 7.50 पैसे प्रति यूनिट है जबकि उनका औसत टैरिफ 9.50 प्रति यूनिट है। बिहार सरकार द्वारा कॉमर्शियल एवं औद्योगिक उपभोक्ता को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जा रही है। अतः चैम्बर अनुरोध करता है कि क्रॉस सब्सिडी को हटाकर कॉमर्शियल एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली की दरों में प्रति यूनिट 2.00 रुपया कम किया जाए।

श्री अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में बिहार में उद्योगों का तेज गति से विकास हो इसके लिए सरकार की ओर से जोरदार प्रयास चल रहा है। इसी क्रम में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गयी है ताकि औद्योगिकरण में तेजी आये जिससे कि अधिकाधिक लोगों को राज्य में रोजगार मिल सके। उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य में विद्युत की दरें अन्य पड़ोसी राज्यों के समकक्ष या कम किया जाए ताकि औद्योगिकरण के प्रयासों को बल मिल सके।

**( साभार : आज, 27.3.2021 )**

**उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी Ethanol Production Promotion Policy 2021 की प्रति आपके अवलोकनार्थ उद्धृत है:-**

**बिहार सरकार**
**उद्योग विभाग**
**संकल्प**

**विषय : इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021**

**1. प्रस्तावना**

बिहार सरकार निवेश अनुकुल वातावरण निर्माण के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में निवेश को सुगम बनाने, रोजगार उत्पन्न करने एवं जन कल्याण के लिए राज्य ने सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाया है। इस दिशा में विभन्न प्रकार के पहल जैसे- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद, सिंगल विण्डो क्लियरेंस एवं विभिन्न विभागों एवं सरकारी एजेन्सियों द्वारा अपनाये गये ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन सत्यापन, स्वप्रमाणन, अनुज्ञप्तियों एवं स्वीकृतियों का समयबद्ध अनुमोदन, ऑनलाइन सूचनाओं की उपलब्धता, अनुमोदन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, डीम्ड अनुमोदन इत्यादि उपाय महत्वपूर्ण हैं।

इन प्रयासों का समग्र उद्देश्य राज्य में उद्योगों की स्थापना कर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना है। बिहार सरकार गंभीरतापूर्वक कौशल विकास, निर्यात सुधार, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कार्य कर रही है।

उपरोक्त के आलोक में इस नीति को उद्योग विशेषज्ञों, उद्योग संघों, निवेशकों, विषय विशेषज्ञों से गहन विचार-विमर्श के उपरान्त तैयार किया गया है। इस नीति को राज्य में संभावित निवेशकों के लिए इथेनॉल उत्पादन को ज्यादा आकर्षक बनाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस नीति का उद्देश्य इथेनॉल उत्पादक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार के मिशन की विस्तृत रूप-रेखा को परिभाषित करना है।

**2. पृष्ठभूमि**

स्थाई और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई पहल की है जिनमें नियंत्रित मूल्य तंत्र, इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक मार्ग खोलने, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 जो भारत सरकार द्वारा विकृतिक इथेनॉल के लिए विनियामक है, में संशोधन, लागू माल एवं सेवा कर (जी. एस. टी.) को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना, राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति-2018 को अधिसूचित किया जाना, इथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए कच्चे माल की व्याप्ति का विस्तार एवं अप्रैल, 2019 के प्रभाव से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (इ. बी. पी.) कार्यक्रम का अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप को छोडकर पूरे भारत में विस्तार शामिल है।

राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति, 2018 का उद्देश्य सार्थक प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का समाधान, आयात निर्यात निर्भरता में कमी करना तथा कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा दे कर सकारात्मक परिणाम को प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति, 2018 में बी-हेवी मोलासेस (छोआ), गन्ना जूस एवं क्षतिग्रस्त खाद्यान जैसे-गेहूँ, ब्रोकन राईस (खुद्दी) इत्यादि जो मानव खपत के लिए अनुपयुक्त हैं, से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है। खाद्यान के संबंध में राष्ट्रीय बायो-फ्यूल समन्वय समिति (एन. बी. सी. सी.) को आगामी वर्ष के आकलित आपूर्ति के आधार पर विशिष्ट कच्चे माल की अनुमति देने हेतु अधिकृत किया गया था। बाद में एन.बी.सी.सी. द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के पास अधिशेष चावल एवं मक्के से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी गई है।

पारंपरिक रूप से बिहार भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी रहा है एवं साथ ही यहाँ अधिसंख्यक छोआ आधारित आसवन इकाइयाँ स्थापित है। राज्य में गन्ना जूस, मकई तथा टूटे चावल का फीड-स्टॉक के रूप में उपयोग कर इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि की पर्याप्त संभावना है। राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति, 2018 एवं बाद की भारत सरकार की उद्घोषणाएँ बिहार जैसे राज्यों जहाँ गन्ना, मक्का तथा चावल जैसे बहुत सारे कच्चे माल उपलब्ध हैं, में इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुकूल नियामक एवं संस्थागत पर्यावरणीय प्रणाली प्रदान करते हैं।

यह नीति इथेनॉल उत्पादन में अवसरों का लाभ उठाने के लिए पेश की गई है, जो किसानों, उद्यमियों एवं इथेनॉल इकाइयों में नियोजित होने वाले कामगारों के लिए स्थायी आमदनी का श्रोत प्रदान करती है।

**3. उद्देश्य**

इस नीति का उद्देश्य राज्य में शत् प्रतिशत इथेनॉल का उत्पादन करने वाली नई (Green Field) स्टैन्डअलोन (Stand-alone) इकाइयों एवं अन्य सभी हितधारकों यथा-निवेशक, किसान एवं अन्य को उनके पारिश्रमिक का लाभ एवं निम्नांकित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:-

- राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति, 2018 एवं राष्ट्रीय बायो-फ्यूल समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत सभी कच्चे माल से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देना।
- नई (Green Field) स्टैन्डअलोन (Stand-alone) इथेनॉल उत्पादन करने वाले निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन देते हुए अनुकूल वातावरण तैयार करना।
- इथेनॉल उत्पादन के लिए फीड-स्टॉक/ कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाना।
- इथेनॉल उद्योग को प्रोत्साहित कर स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना।

**4. विषय वृत्तांत एवं व्याप्ति**

**4.1 इकाइयों के प्रकार के लिए पात्रता** - इस नीति अन्तर्गत केवल वैसी स्टैन्डअलोन (Stand-alone) आसवनगृहों (सिंगल फीड अथवा डूयल फीड) जो 100 प्रतिशत ईंधन ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन करती हैं एवं ग्रीनफिल्ड परियोजना के रूप में विकसित होंगी, वित्तीय प्रोत्साहन की पात्र होंगी।

**4.2 फीडस्टॉक्स के प्रकार के लिए पात्रता** - बिहार राज्य में राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति, 2018 के तहत एवं राष्ट्रीय बायो-फ्यूल समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत सभी फीडस्टॉक्स से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति होगी। भविष्य में राष्ट्रीय बायो-फ्यूल समन्वय समिति द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए कोई अतिरिक्त फीडस्टॉक की अनुमति दिए जाने पर उक्त फीडस्टॉक में बिहार में स्वत: इथेनॉल उत्पादन हेतु अनुमति होगी।

**टिप्पणी :** -

क. इस नीति अन्तर्गत पात्रता हेतु बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2016 अन्तर्गत वर्णित अन्य पात्रता शर्तो एवं प्रोत्साहनों पर विचार किया जाएगा।

ख. इस नीति अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु केवल वही इथेनॉल उत्पादन की इकाइयाँ पात्र होंगी जो ईंधन श्रेणी के इथेनॉल का उत्पादन करती हैं एवं अपना 100 प्रतिशत इथेनॉल भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (इ.बी.पी.) अन्तर्गत तेल उत्पादक कंपनियों (OMCs) को आपूर्ति करती हैं। इस प्रयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति के समय इकाइयाँ या तो (i) इकाई, उनके बैंक एवं तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के बीच संपन्न त्रिपक्षीय एकरारनामे की एक प्रति, अथवा (ii) इकाई द्वारा उत्पादित इथेनॉल के क्रय हेतु तेल विपणन कंपनियों (OMCs) का क्रयादेश जमा करेगी।

**5. इथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन**

यह नीति इथेनॉल उत्पादन प्रक्षेत्र में आगे निवेश के अवसर में सुधार हेतु अर्हता प्राप्त इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता का महत्व समझती है।

**5.1 मार्गदर्शक सिद्धांत**

5.1.1 ये प्रावधान / सिद्धांत इस नीति अन्तर्गत सभी पात्र परियोजनाओं / इकाइयों के लिए लागू होंगे।

5.1.2 यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। उक्त तिथि को इस नीति की प्रभावी तिथि माना जायेगा जिससे इनके प्रावधान लागू होंगे तथा 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेंगे।

5.1.3 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त दिए जायेंगे।

5.1.4 इस नीति की कडिका–4 अन्तर्गत आच्छादित योग्य इकाइयों को प्रोत्साहन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 द्वारा देय अनुदानों के अतिरिक्त होगा। यथापि इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा इस नीति की कंडिका– 5.2 में निर्धारित अधिसीमा के अधीन होगी।

5.1.5 इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की गणना के लिए संयंत्र एवं मशीनरी की लागत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल संयंत्र एवं मशीनरी की लागत होगी।

5.1.6 इस नीति अन्तर्गत केवल वैसी ग्रीन–फिल्ड स्टैन्डअलोन इथेनॉल इकाइयाँ जो जेड. एल. डी. (Zero Liquid Discharge) के आधार पर स्थापित की गई है, पर विचार किया जाएगा। इन्फ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (इ. टी. पी.) की स्थापना लागत को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका–6.1 (xxii) में यथावर्णित अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल किया जाएगा।

5.1.7 पात्र इथेनॉल इकाइयों द्वारा कैप्टिव पावर प्लान्ट की स्थापना में किए गए व्यय को अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल किया जाएगा।

5.1.8 **विशेष वर्ग के निवेशको को दिये जाने वाले लाभ :** अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस. टी.), अति पिछड़ा वर्ग (इ. बी. सी.), महिलाओं, दिव्यांगजनों, वार विडो, एसिड हमले के शिकार एवं थर्ड जेन्डर उद्यमियों के मामले में इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा को अतिरिक्त 5 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।

**5.2 प्रोत्साहन की अधिसीमा**

5.2.1 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत ब्याज अनुदान प्रोत्साहन एवं इस नीति अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान की कुल अधिसीमा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत की 50 प्रतिशत तक होगी।

5.2.2 इस नीति की कंडिका–5.1.8 में वर्णित विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए यह अधिसीमा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमोदित परियोजना लागत का 52.5 प्रतिशत होगी।

**5.3 इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन**

इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की सीमा संयत्र एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत अथवा रु. 5.00 करोड़, जो भी कम हो, होगी।

कंडिका–5.1.8 में वर्णित विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए इस नीति अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान की सीमा संयत्र एवं मशीनरी की लागत का 15.75 प्रतिशत अथवा रु. 5.25 करोड़, जो भी कम हो, होगी।

**5.4 केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के साथ समन्वय (Dovetailing)**

क. इस नीति अन्तर्गत केन्द्र सरकार की नीतियों एवं योजनाओं से समन्वय (Dovetailing) की अनुमति होगी। निवेशकों को उनके द्वारा केन्द्र सरकार की नीतियों अन्तर्गत प्राप्त किये गये/प्राप्त किए जाने वाले प्रोत्साहनों के प्रकार एवं राशि की घोषणा करनी होगी।

ख. इस नीति अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से भी समन्वय (Dovetailing) की अनुमति होगी। नीति अन्तर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 से इतर राज्य सरकार की अन्य नीतियों एवं योजनाओं के साथ समन्वय (Dovetailing) की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि इकाई द्वारा एक ही परिसम्पत्ति पर इस नीति एवं वैसी अन्य नीति के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(ग) यदि निवेशक केन्द्र सरकार की योजना अन्तर्गत कोई अनुदान प्राप्त करता है तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए/ प्राप्त किए जाने वाले अनुदान की राशि को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा इस नीति अन्तर्गत अनुमान्य तत्स्थानी अनुदान (Corresponding Subsidy) से घटा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि एक निवेशक केन्द्र सरकार की एक योजना अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त करता है तथा उसके द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर लागू ब्याज का दर 10 प्रतिशत है तो नीति में उल्लिखित अधिसीमा के अधीन शेष 4 प्रतिशत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत अनुमान्य होगा।

**5.5 विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज**

राज्य में अनुसूचित जातियों (एस.सी.) अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.), अति पिछड़ा वर्ग (इ. बी. सी.) महिलाओं, दिव्यांगजनों, वार विडो, एसिड हमले के शिकार एवं थर्ड जेन्डर उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें इस नीति अन्तर्गत अतिरिक्त अनुदान इस शर्त के साथ अनुमान्य होगा कि इकाई को प्रवर्तित करने वाली कंपनी/फर्म में इन वर्गों के उद्यमियों का 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हो।

**5.6 इस नीति अन्तर्गत आवेदन की समयावधि**

इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र इकाइयों को दिनांक 30.6.2021 तक स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करना होगा। इथेनॉल इकाई की स्थापना हेतु उद्यमी द्वारा जमा किए गए स्टेज–1 के सभी आवेदनों की आगामी 07 कार्य दिवसों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हर तरह से पूर्ण आवेदन को स्टेज–1 की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा इसकी सूचना संबंधित उद्यमी को दी जाएगी।

वैसी पात्र इकाइयाँ जो इस नीति की अधिसूचना के पूर्व स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हैं उन्हें भी इस नीति से आच्छादित किया जाएगा, अगर उनके द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी प्राप्त नहीं की गई हो।

**5.7 पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन**

इस योजनान्तर्गत पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस नीति अन्तर्गत दिनांक 30.6.2021 तक स्टेज–1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन करने वाली सभी इकाइयाँ प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी, अगर वे 30.6.2022 तक अथवा इसके पूर्व वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए भी आवेदन कर देती है।

**5.8 100 प्रतिशत नई स्टैंडअलोन इथेनॉल इकाइयों को कुल वित्तीय सहायता**

इस नीति की अधिसूचना के उपरान्त बिहार की पात्र ग्रीन फिल्ड स्टैन्डअलोन इथेनॉल की इकाइयाँ बिहार सरकार की निम्नांकित नीतियों के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी :–

1. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016
2. यह नीति

इस प्रकार पात्र इथेनॉल इकाइयाँ निम्नांकित वित्तीय सहायता की पात्र होंगी:–

| क्र० | प्रोत्साहन का प्रकार | प्रोत्साहन की राशि | नीति |
|---|---|---|---|
| 1. | स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क | स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति) | |
| 2. | भूमि सम्परिवर्तन शुल्क | भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | ब्याज अनुदान प्रोत्साहन | पाँच वर्षों के लिए टर्म लोन पर 10% ब्याज अनुदान, प्रोत्साहन की अधिसीमा परियोजना लागत का 50%, अधिकतम रु. 20.00 करोड़ (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में अधिसीमा परियोजना लगत का 30%, अधिकतम रु. 10.00 करोड़) | बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 |
| 4. | कर संबंधी प्रोत्साहन | पाँच वर्षों तक कर संबंधी प्रोत्साहन (100% एस.जी.एस.टी प्रतिपूर्ति एवं 100% विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति), अधि-सीमा परियोजना लागत का 100%, (प्राथमिकता प्रक्षेत्र के मामले में 80% एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति एवं 100% विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति, अधिकतम परियोजना लागत का 100%) | |
| 5. | नियोजन लागत अनुदान | नई इकाइयों को बिहार के निवासी कर्मियों के लिए ई.एस.आई. एवं ई.पी. एफ. योजना में अंशदान पर हुए व्यय का 50% प्रतिपूर्ति (पुरूष कामगारों के मामले में) तथा 100% प्रतिपूर्ति (महिला कामगारों के मामले में), प्रतिपूर्ति की अधिसीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कर्मियों के लिए रुपये 1000.00 प्रति माह तथा सामान्य कर्मियों के लिए रुपये 500.00 प्रतिमाह होगी। | |
| 6. | कौशल विकास अनुदान | कौशल विकास अनुदान रु. 20,000.00 प्रति कर्मी/बिहार कौशल विकास मिशन (बी.एस.डी.एम.) का दर, जो भी कम हो। यह अनुदान बिहार के निवासी कर्मियों/स्टॉफ के प्रशिक्षण के लिए अनुमान्य होगा। | |
| 7. | पूँजीगत अनुदान | संयंत्र एवं मशीनरी की लागत का 15%, अधिकतम रु. 5.00 करोड़ | यह नीति |

**टिप्पणी :-**

1. सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के मामले में निम्नांकित अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाते है:- (i)ब्याज अनुदान की दर 10 प्रतिशत के बदले 12 प्रतिशत है तथा (ii) कर संबंधी अनुदान की अधिसीमा अनुमोदित परियोजना लागत की 30 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाई जाती है।
2. इस नीति की कंडिका- 5.1.8 में वर्णित विशेष वर्ग के उद्यमियों के लिए निम्नांकित अतिरिक्त अनुदान दिए जाते हैं:- (i) ब्याज अनुदान की दर तथा ब्याज अनुदान की अधिसीमा दोंनो को 15 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाया जाता है, (ii) कर संबंधी अनुदान की अधिसीमा को 15 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाया जाता है तथा (iii) पूँजीगत अनुदान की अधिसीमा को 5 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ाया जाता है।
3. यह कंडिका 5.8 मात्र प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य से है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत प्रोत्साहनों में संबंधित पदबंधों एवं शर्तों के लिए नीति दस्तावेज को संदर्भित किया जाना चाहिए। इस कंडिका में प्रस्तुत सूचनाओं एवं उक्त नीति के प्रावधानों में कोई विरोधाभाष होने पर, नीति के प्रावधान लागू एवं प्रभावी होंगे।

**5.9 उद्यमियों एवं उद्योग विभाग द्वारा समय सीमा का अनुपालन**

- **स्टेज-1 क्लीयरेंस** :- उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc.bihar.gov.in) पर 30 जून, 2021 तक स्टेज- 1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन जमा करना होगा। उद्योग विभाग द्वारा सभी तरह से पूर्ण आवेदनों को आगामी 07 कार्य दिवसों के अंदर स्टेज-1 क्लीयरेंस निर्गत किया जायेगा।
- **बियाडा द्वारा भूमि का आवंटन** :- भूमि आवंटन के लिए उद्यमियों द्वारा बियाडा के पोर्टल पर आवेदन करना होगा जिसे बियाडा द्वारा आगामी 07 कार्य दिवसों में निष्पादित किया जायेगा।
- **वित्तीय स्वीकृति** :- वित्तीय स्वीकृति के लिए उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc.bihar.gov.in) पर अधिकतम 30 जून, 2022 तक आवेदन करना होगा।

**6. नीति कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण**

**6.1 नीति कार्यान्वयन :-**

i. उद्योग विभाग, बिहार सरकार राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगा। उद्योग निदेशक इस नीति के नोडल अधिकारी होंगे।

ii. इस नीति अन्तर्गत अनुदान की प्रक्रिया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी।

iii. इकाइयों द्वारा इस नीति अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन उद्योग विभाग, बिहार सरकार के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc.bihar.gov.in) पर किया जायेगा।

iv. बिहार सरकार राज्य में ईंधन श्रेणी इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। इस उद्देश्य हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-4 के अनुरूप गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को राज्य सरकार के संबंधित विभागों/अभिकरणों को निदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करेगी। इथेनॉल इकाइयों को बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा अन्य विभागों/अभिकरणों से वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र, स्वीकृति एवं अनुमति उद्योग विभाग, बिहार सरकार के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc.bihar.gov.in) द्वारा दिया जायेगा।

v. उद्योग विभाग द्वारा इथेनॉल इकाइयों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) से भूमि आवंटन, निजी भूमि के भूमि निबंधन तथा भूमि उपयोग सम्परिवर्तन एवं अन्य आवश्यक स्वीकृतियों/अनुज्ञप्तियों/अनापत्तियों के लिए हैण्ड-होल्डिंग सहायता दी जायेगी।

vi. इथेनॉल इकाइयों को बियाडा की भूमि प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जायेगी। उद्यमी द्वारा इथेनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रत्येक आवेदन को आगामी 07 कार्य दिवसों में निष्पादित किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की इकाईयों के लिए एक सप्ताह के अंदर प्राप्त सभी आवेदनों की स्वीकृति के लिए बियाडा के प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमिटि (पी.सी.सी.) की साप्ताहिक बैठक होगी। इथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाइयों को भूमि आवंटन में अन्य उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के प्रस्तावों पर अधिमानता दी जायेगी।

**6.2 नीति अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण**

i. इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और आवश्यक दिशा-निर्देशो के साथ त्रुटियों का निराकरण किया जायेगा।

ii. उद्योग विभाग इस उद्देश्य के लिए वेब आधारित सूचना तंत्र विकसित करेगा जिससे सलाह एवं शिकायत सीधा विभाग को

प्रेषित किया जा सके।

6.3 **कार्यक्रम जागरूकता एवं क्षमता वर्द्धन**

i. घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु विभिन्न स्तरों पर जागरूकता / क्षमता वर्द्धन के लिए कार्यक्रम चलाया जायेगा। इसके साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की जायेगी, साथ ही स्व-रोजगार के अवसरों के लिए जैव ईंधन प्रक्षेत्र की भूमिका एवं महत्व स्थापित की जायेगी।

ii. मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्द्धन पर जोर दिया जायेगा। इसके लिए सरकारी एवं अन्य संस्थानों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे कि जैव ऊर्जा प्रक्षेत्र में प्रचुर मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

7. **सामान्य शर्तें:-**

i. राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति, 2018 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो (बी. आई. एस.) द्वारा पहले से ही बायो इथेनॉल स्टैण्डअलोन एवं मिश्रित रूप में उपयोग के लिए बायो डिजल के मानकों को विकसित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बायो डिजल के लिए (15607), जो अमेरिकन मानक ए. एस. टी. एम.-डी-6751 एवं यूरोपियन मानक ई. एन.-14-14214 से लिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत बायो इथेनॉल मिश्रण सहित मानक आई. एस.- 2796: 2001 विकसित किया गया है। बायो इथेनॉल, बायो डिजल, ड्रॉप-इन-फ्यूल, मिथेनॉल एवं अन्य जैव ईंधनों के उत्पादन में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय किये गये मानकों की हर शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. अनुदान प्राप्ति के लिए यदि कोई गलत घोषणा दी जाती है या अनुदान एक ऐसी इकाई द्वारा प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं है या अन्य किसी तरीके से इस नीति का उल्लंघन किया जाता है, वैसी स्थिति में अनुदान के रूप में दी गई राशि, अनुदान विमुक्ति की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृधि ब्याज की दर से वसूल की जायेगी। निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार सूद सहित राशि भूमि लगान की तरह वसूल करेगी।

8. इस नीति में प्रयुक्त शब्दों के वहीं अर्थ होंगे जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा राष्ट्रीय बायो-फ्यूल नीति, 2018 में हैं, जैसा संदर्भ हो। व्याख्या / विवाद के सभी मामले औद्योगिक विकास आयुक्त या अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग विभाग द्वारा निर्णीत होंगे। ऐसी व्याख्या / निर्णय अंतिम होगा।

9. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के वंचित उद्योगों की सूची में अंकित उद्योग इस नीति अन्तर्गत किसी प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे।

10. अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में अँग्रेजी भाषा संस्करण हर तरह से बाध्यकारी होगा और लागू होगा।

11. यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी तथा 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
**ब्रजेश मेहरोत्रा**
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 757/पटना दिनांक 17.3.2021 सं.सं.-4 तक. / Ethenol Policy / 09 / 2021

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

**पूर्व में वर्षों से संचालित / कार्यरत पुनः चक्रणकर्ता ( Recycler ) जो वर्तमान में आबादी से घिर गए हैं, के संचालनार्थ सहमति प्रदान हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा गठित Siting Criteria की समीक्षा हेतु गठित समिति की दूसरी बैठक दिनांक 8 मार्च 2021 को हुई। सदस्यों के अवलोकनार्थ बैठक की कार्यवाही उद्धृत है:-**

## संचालित प्लास्टिक अपशिष्ट पुनः चक्रणकर्ता के Siting Criteria की समीक्षा हेतु गठित समिति की दिनांक 8.3.2021 को आहूत द्वितीय बैठक का वृत

संचालित प्लास्टिक अपशिष्ट पुनः चक्रणकर्ता जो पूर्व से स्थापित एवं संचालित है के स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्रदान करने हेतु Siting Criteria की समीक्षा करने के लिये गठित समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 8.3.2021 को अपराह्न पर्षद् के संवाद कक्ष में आयोजित की गयी। उपस्थिति यथा पंजी।

बैठक की अध्यक्षता श्री एस. चन्द्रशेखर, सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा की गयी। इनके द्वारा समिति के गठन एवं कार्यक्षेत्र की विस्तृत जानकारी दी गयी। श्री अरूण कुमार, वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 2.3.2021 को आहूत प्रथम बैठक के कार्रवाई की जानाकारी दी गयी।

दिनांक 2.3.2021 को आायोजित बैठक में लिये गये निर्णयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी। बैठक में उल्लेखित किया गया कि अपशिष्ट प्लास्टिक पुनः चक्रणकर्ता इकाईयाँ अपशिष्ट प्लास्टिक को एकत्रित कर उसका पुनः चक्रण करती है। इस प्रकार की इकाईयाँ अपशिष्ट प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरर्णीय क्षति को कम करती है। इन इकाईयों द्वारा विद्युत संचालित संयंत्रों का उपयोग करने के कारण वायु प्रदूषण की समस्या काफी कम है। जल प्रदूषण की रोकथाम आसानी से कर जल को पुनः चक्रित किया जा सकता है। इसलिये इस प्रकार की इकाईयाँ पर्यावरण की हितैषी हैं इसलिये इन्हें Siting Criteria से कुछ शतों के साथ मुक्त करने पर विचार किया गया।

प्लास्टिक अपशिष्ट नियम एवं अन्य सभी संबंधित प्रावधानों पर विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

i. इकाईयों के पुराने होने का निर्धारण के लिये साक्ष्य के रूप में उनका विद्युत-विपत्र एवं भुगतान का विपत्र जिससे उनका पुराना होना एवं संचालित रहना प्रमाणित हो, को प्रस्तुत करना।

ii. इकाईयों के पुराने होने की तिथि को चिन्हित् करने के लिये प्रथम बैठक में विचारार्थ तिथियों पर सम्यक रूप से चर्चा के उपरान्त पर्षद् द्वारा Siting Criteria के निर्धारण की तिथि 1.10.2018 के पूर्व की तिथि यथा-30.9.2018 या इसके पूर्व स्थापित एवं संचालित प्लास्टिक पुनः चक्रण इकाईयों को पुराना माना जाये। उक्त तिथि के बाद स्थापित एवं संचालित इकाईयाँ नई मानी जायेगी।

iii. उपरोक्त निर्णय में मानी गयी सभी पुरानी इकाईयाँ आवश्यक रूप से दिनांक-31.12.2021 तक स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त कर पंजीकरण हेतु पर्षद् में आवेदन करेंगे। उन्हें ही पर्षद् के द्वारा निर्धारित Siting Criteria (दिनांक 1.10.2018) के दिशा-निर्देश से विमुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

| | | |
|---|---|---|
| ह०/-<br>8.3.2021<br>(अरूण कुमार)<br>बि.रा.प्र.नि. पर्षद<br>पटना | (दिलीप कुमार)<br>सचिव<br>पटना सिटी व्यापारी<br>एवं उद्यमी विकास समिति<br>पटना | ह०/-<br>8.3.2021<br>अध्यक्ष<br>बिहार इण्डस्ट्रीज<br>एसोसिएशन, पटना |
| ह०/-<br>8.3.2021<br>अध्यक्ष<br>बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स<br>एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना | ह०/-<br>8.3.2021<br>(एस. चन्द्रशेखर)<br>सदस्य सचिव<br>बि.रा.प्र.नि. पर्षद, पटना | |

**Plastic Waste Management Rule, 2018 में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या GSR (E) दिनांक 11 मार्च 2021 की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।**

**भारत का राजपत्र**

**The Gazette of India**

सी. जी.-डी. एल.-अ.-11032021-225824

CG-DL- E- 11032021-225824

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II -खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II - Section 3 - Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

**(सं. 128) नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942**

**No. 128) NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2021/ PHALGUNA 20, 1942**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

**सा.का.नि. 169 (अ)** - निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 18 मार्च, 2016 के सा. का. नि. 320 (अ) द्वारा जारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचना, 2016 में कुछ संशोधन करने हेतु जारी करने का प्रस्ताव करती है, को एतद्द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत उल्लिखित अपेक्षानुसार उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना पर सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख को अथवा उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को पत्र लिखकर अथवा इलैक्ट्रोनिक तरीके से ई-मेल: satyendra.kumar07@nic.in,amit.love@nic.in के माध्यम से भेज सकता है।

**प्रारूप अधिसूचना**

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2016 के सा. का. नि. 320 (अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावकारी एवं उन्नत ढंग से एकत्रीकरण, पृथक्करण, प्रसंस्करण, शोधन और पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ तरीके से निपटान के लिए नए प्रावधान लाए गए हैं जिनका उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट के सृजन और पर्यावरण पर उसके प्रभाव में कमी लाना है;

नियमों के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैगों, शीटों अथवा इस तरह की अन्य सामग्रियों के प्रयोग का निषेध किया गया है। साथ ही, नियमों के अनुसार प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग करने वाले पाउचों का उपयोग गुटखा, तम्बाकू और पान मसाले के भंडारण, पैकिंग अथवा विक्रय के लिए नहीं किया जाएगा।

कई राज्य सरकारों द्वारा अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से अपने-अपने राज्यों में प्लास्टिक कैरी बैगों/ सिंगल-यूज प्लास्टिकों के प्रयोग पर आंशिक अथवा पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्लास्टिक कैरी बैगों और कुछ सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने / उनका निषेध करने के संबंध में राज्य स्तर पर की गई कार्रवाई के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इन विनियामक प्रावधानों के कार्यन्वयन में अनके प्रकार की चुनौतियों का सामना किया गया है। तथापि, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्यों ने इस क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है।

सिंगल-यूज प्लास्टिकों के प्रबंधन के कारण पर्यावरण को होने वाली अत्यधिक क्षति, विशेषरूप से समुद्री पर्यावरण पर उसके प्रतिकूल प्रभाव, तथा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की पहलों को संपूरित करने वाली स्पष्ट कार्य योजना की आवश्यकता पर विचार करते हुए, यह प्रस्तावित है कि अखिल भारतीय स्तर पर कुछ सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, उपयोग, विक्रय, आयात और हथालन पर प्रतिबंध लगाया जाए।

अत: अब, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 के तहत उल्लिखित अपेक्षानुसार इस प्रारूप अधिसूचना को प्रकाशित करती है, जो इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को और उस तारीख से उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करेगी, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
   (2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. उक्त नियमों में, नियम 2(1) में, आयातकों शब्द के पश्चात् 'ब्रांड मालिक', "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर (पुनश्चक्रक, को-प्रोसेसर, आदि)" शब्द अंतर्बिष्ट किए जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 3 में,
   i. खंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-
   "(ढ क) गैर बुने हुए प्लास्टिक बैग-गैर बुने हुए प्लास्टिक का विनिर्माण यांत्रिक अथवा तापीय अथवा रासायनिक माध्यमों से एक साथ बद्ध उलझे हुए फाइबरों अथवा फिलामेंटों के शीट अथवा जाल संरचना वाले फेब्रिक से (और फिल्मों में छेद करके) किया जाता है। गैर बुना फेब्रिक एक चपटा अथवा गुच्छेदार छिद्रयुक्त शीट होता है जिसे सीधे तौर पर फाइबरों, पिघले हुए प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक फिल्मों से तैयार किया जाता है"।
   ii. खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-
   "(थ क) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण-इसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का हथालन पुन: उपयोग पुनश्चक्रण, सह-प्रसंस्करण अथवा नए उत्पादों के रूप में परिवर्तन के प्रयोजन से किया जाता है"।
   iii. खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-
   "(फ क) सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तु-वह प्लास्टिक सामग्री है जिसका उपयोग निपटान करने अथवा पुनश्चक्रित करने से पहले एक ही प्रयोजन के लिए सिर्फ एक बार किया जाना है"।
   iv. खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-
   (फ ख) थर्मोसेट प्लास्टिक-वह प्लास्टिक है जो गरम किए जाने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाता है, और इस कारण से वांछित आकार में नहीं ढाला जा सकता है।
   v. खंड (फ ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

(फ ग) थर्मोप्लास्टिक - वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और जिसे वांछित आकार में ढाला जा सकता है।

4. उक्त नियमों में, नियम (4) में, -
   i. 30.09.2021 की तारीख से, खंड (ग), उप-नियम (1) में, 'पचास' शब्द को 'एक सौ बीस (120)' के रूप में पढ़ा जाएगा।
   ii. खंड (ज) में, "कैरी बैगों" शब्दों के पश्चात् "और वस्तुएँ" शब्द अंतर्विष्ट किए जाते हैं।
   iii. खंड (ज) में, "कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों" शब्दों के पश्चात् "और/ या वस्तुएं" शब्द अंतर्विष्ट किए जाते हैं।
   iv. खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा:
   ञ. 30.09.2021 की तारीख से, गैर बुने हुए प्लास्टिक कैरी बैग की प्रत्येक शीट मोटाई में 60 जीएसएम (ग्राम प्रति वर्ग मीटर) अथवा 240 माइक्रोन से कम नहीं होगी।

5. उक्त नियमों में, नियम (4) में, निम्नलिखित उप-नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा:

   1 जुलाई, 2022 की तारीख से निम्नलिखित सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग का निषेध किया जाएगा:

   (i) सिंगल-यूज प्लास्टिक पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन सहित) वस्तुएँ:
   प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के ईर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में; निमंत्रण कार्ड; और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर, स्ट्रिई

   (ii) उपर्युक्त उपबंध 2 (I) कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक सामग्री से बनी हुई वस्तुओं (कैरी बैगों सहित) पर लागू नहीं होगा।

   3. निम्नलिखित सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दिनांक 1 जनवरी, 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा:
   प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) सजावटी सामग्री।

6. उक्त नियमों में नियम (5), उप-नियम (1), खंड (घ) में शब्द "2000" को "2016" के रूप में पढ़ा जाए।

7. नियम (6), उप-नियम (2), खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाता है:-
   (क1) यह सुनिश्चित करें कि सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध/निषेध से संबंधित उपबंधों का पालन किया गया है।

8. नियम (7), उप-नियम (1), खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया गया है।
   (क1) यह सुनिश्चत करें कि सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध/निषेध से संबंधित उपबंधों का पालन किया गया है।

9. उक्त नियमों में, नियम (9) में,-
   i. उप-नियम (1) के तहत, "संबंद्ध स्थानीय निकाय", शब्दों के बाद, "इन नियमों के तहत समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार", शब्द अंत: स्थापित किए गए हैं।

10. नियम (11) उप-नियम (1) में-
   क. 'प्लास्टिक कैरी बैग' शब्दों के बाद; 'प्लास्टिक पैकेजिंग और', शब्द अंत: स्थापित किए जाऐंगे।
   ख. खंड (क), 'विनिर्माणकर्ता' शब्दों के लिए 'उत्पादक'/ ब्रांडस्वामी' शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे और 'कैरी बैग' शब्द के बाद, 'ब्रांड स्वामियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्लास्टिक पैकेजिंग', शब्द अंत: स्थापित किए जाऐंगे
   ग. खंड (ख) में, 'बहुस्तरीय पैकेजिंग' शब्दों के बाद, (आयातित सामग्रियों के लिए उपयोग में लाई गई बहु-स्तरीय पैकेजिंग को हटाकर), शब्द, अंत: स्थापित किए जाऐंगे
   घ. खंड (ग) में, 'नाम और प्रमाणपत्र संख्या' शब्दों के बाद, 'उत्पादक' शब्द अंत: स्थापित किया जाएगा।

10. नियम (12) में-
   क. उप-नियम (2) में, "अपशिष्ट जनक" शब्दों के बाद, 'पर प्रतिबंध/ निषेध', शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे।
   ख. उप-नियम (3) में, "अपशिष्ट जनक" शब्दों के बाद, 'पर प्रतिबंध/ निषेध', शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे।

11. नियम (13) में,
   क. उप-नियम (1) में 'संबंद्ध संघ राज्य क्षेत्र' शब्द के बाद, 'या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' शब्द अंत: स्थापित किया जाता है।

(फा. सं. 17-2/2001 (पार्ट) पार्ट-1 एचएसएमडी)
नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:**

i. मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा. का. नि. 320 (अ), दिनांक 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

ii प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा. का. नि. 285(अ), तारीख, 27 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## 69 अनुसूचित नियोजनों की 01-04-2021 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दरें

| क्र० सं० | कामगारों की कोटि | दिनांक 1.12.2016 + 1.4.2017 + 1.10.2017 + 1.4.2018 + 1.10.2018 + 1.4.2019 + 1.10.2019 + 1.4.2020 + 1.10.2020 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में) | परिवर्त्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 1.4.2021 से प्रभावी होगी | 1.4.2021 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3 + 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | अकुशल | 237.00 + 5.00 + 5.00 + 7.00 + 3.00 + 11.00 + 9.00 + 10.00 + 5.00 = 292.00 | 12.00 | 304.00 प्रति दिन |
| 2 | अर्द्धकुशल | 247.00 + 5.00 + 5.00 + 8.00 + 3.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 5.00 = 304.00 | 12.00 | 316.00 प्रति दिन |
| 3 | कुशल | 301.00 + 6.00 + 6.00 + 9.00 + 3.00 + 15.00 + 12.00 + 12.00 + 6.00 = 370.00 | 15.00 | 385.00 प्रति दिन |
| 4 | अतिकुशल | 367.00 + 7.00 + 7.00 + 11.00 + 4.00 + 19.00 + 14.00 + 15.00 + 7.00 = 451.00 | 18.00 | 470.00 प्रति दिन |
| 5 | पर्यवेक्षीय/ लिपिकीय | 6799.00 + 136.00 + 139.00 + 212.00 + 73.00 + 324.00 + 272.00 + 272.00 + 136.00 = 8363.00 | 340.00 | 8703.00 प्रति माह |

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

# चैम्बर अध्यक्ष द्वारा फेडरल बैंक की मुख्य शाखा के नये परिसर का उद्घाटन

फेडरल बैंक की मुख्य शाखा के नये परिसर का फीता काट कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में बैंक के जोनल हेड श्री दिलीप बी. एवं बैंक के अन्य अधिकारीगण तथा ग्राहकगण।

दीप प्रज्ज्वलित कर फेडरल बैंक की मुख्य शाखा के नये परिसर का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में बैंक अधिकारीगण एवं अन्य।

फेडरल बैंक लिमिटेड की मुख्य शाखा का जमाल रोड, पटना स्थित नये परिसर का उद्घाटन दिनांक 8 मार्च 2021 को किया गया। मुख्य शाखा के इस नये परिसर का उद्घाटन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर फेडरल बैंक के जोनल हेड श्री दिलीप बी., ब्रांच हेड श्री अमित कुमार सिंह, क्लस्टर हेड श्री ए. बी. वाई. पाल एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस शाखा में एटीएम एवं लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। कार्यक्रम को श्री पी. के.अग्रवाल ने संबोधित भी किया।

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296